प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका संख्या 254 /2025

1 – पवन कुमार खुंटे पिता दंडाराम खुंटे , 36 वर्ष, निवासी गाँव–धनगाँव पुलिस थाना भाटगाँव जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ (पिता का नाम सही रूप पिता अनुलग्नक पी/2 निवासी अनुसार उल्लिखित है)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) के द्वारा ,जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़

----उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतु :श्री विक्रम प्रताप,अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :सुश्री बीनू शर्मा, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

21/03/2025

1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत यह याचिका विद्वान जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर), जिला– सारंगढ़– बिलाईगढ़ (सीजी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2024 (अनुलग्नक पी–1) के विरुद्ध निर्देशित है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता दो पहिया वाहन का स्वामी है जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी 22 यू 6410 है जिसे याचिकाकर्ता ने विधिवत खरीदा है तथा याचिकाकर्ता के पास वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज भी हैं। दिनांक 19.04.2022 को पुलिस थाना भटगांव जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आवेदक अपने दो पहिया वाहन जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी 22 यू 6410 है पर अवैध शराब का परिवहन कर रहा है।उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर याचिकाकर्ता के कब्जे से कुल

5400 बल्क लीटर अवैध शराब और उक्त वाहन जब्त किया है। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर द्वारा 01.08.2024 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सुपर्दनामा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन कलेक्टर द्वारा 21.10.2024 के आदेश के तहत सुपर्दनामा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया, जो विधि के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सी.जी. आबकारी अधिनियम की धारा 47-ए(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबसे पहले कलेक्टर को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि अधिनियम के तहत अपराध किया गया है और यह संतुष्टि केवल विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश के बाद ही हो सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिनांक 06.06.2023 के आदेश पत्र के अनुसार वर्तमान आवेदक ने पहले ही जेएमएफसी, भटगांव जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़ (सी.जी.) द्वारा अपराध क्रमांक 64/2022 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2023 की एक प्रति प्रस्तुत कर दी है और आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और अपील और पुनरीक्षण को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा उचित ढंग से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, तीन अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वन्द्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. 1915 के अधिनियम की धारा 47-ए को 4.8.2000 से एम.पी. अधिनियम संख्या 22, 2000 द्वारा 1915 के अधिनियम में शामिल किया गया था। 1915 के अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (2) जब्ती का प्रावधान करती है।इसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब कलेक्टर को विश्वास हो कि धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और जहां ऐसे अपराध का पता लगाने के समय या उसके दौरान पाई गई शराब की मात्रा पचास बल्क लीटर से अधिक है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले आधार पर जब्त किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, बर्तनों, सामग्रियों, वाहनों आदि को जब्त करने का आदेश दे सकता है।

7. 1915 के अधिनियम की धारा 47-ए की उपधारा (3) में निम्नानुसार प्रावधान है:---

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर ने-

(क) जब्त मादक द्रव्यों, वस्तुओं, उपकरणों, बर्तनों, सामग्रियों, वाहन आदि की जब्ती के लिए कार्यवाही आरंभ करने के बारे में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना उस न्यायालय को नहीं भेज दी है जिसके पास उस अपराध का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है जिसके कारण जब्ती की गई है;

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे मादक द्रव्य, वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, सामग्री, वाहन आदि जब्त किए गए हैं, लिखित में नोटिस जारी किया है, तथा उस पर दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, तथा किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसमें हित रखने के लिए कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हो सकता है, नोटिस जारी किया है;

(ग) उपर्युक्त खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित जब्ती के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया है;

(घ) उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को तथा खंड (ख) के अधीन नोटिस प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई के लिए दिया जाएगा।"

8. उपर्युक्त प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि अधिनियम 1915 की धारा 47–ए की उपधारा (3) के खंड (ए) के अनुसार, कलेक्टर को जब्त किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, औजारों, बर्तनों, सामग्रियों, वाहन आदि की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बारे में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उस न्यायालय को सूचना भेजनी होती है, जिसके पास उस अपराध का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसके कारण जब्ती की गई है। कलेक्टर उस व्यक्ति को लिखित रूप में नोटिस जारी करने के लिए भी बाध्य है, जिससे ऐसे मादक द्रव्य, वस्तुएं, औजार, बर्तन, सामग्री, वाहन आदि जब्त किए गए हैं और उस पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को और किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो कलेक्टर के समक्ष उसमें रुचि रखने के लिए उपस्थित हो सकता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **राजेंद्र कुमार गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि चालक या जिस व्यक्ति से वाहन जब्त किया गया है, उसे नोटिस जारी करना अनिवार्य है और जिसके कब्जे से अवैध शराब या प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया है, उस व्यक्ति को सुने बिना जब्ती का आदेश पारित करना अवैध है।

10. 1915 के अधिनियम की धारा 47–ए की उपधारा (3) का खंड (सी) उपरोक्त खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित जब्ती के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करता है।

11. **खेम चंद बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले** में, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(2) पर विचार किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त या हटाया या पद में अवनत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रस्तावित दंड क्यों न दिया जाए, इस बारे में अभ्यावेदन करने का अवसर उसे तभी दिया जा सकता है जब जांच पूरी हो जाने के बाद और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ साबित आरोपों की गंभीरता या अन्यथा पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी तीन दंडों में से एक दंड देने का प्रस्ताव करता है और निम्नानुसार टिप्पणी की गई है:–

"19. संक्षेप मेंःविचाराधीन प्रावधान द्वारा परिकल्पित युक्तियुक्त अवसर में शामिल हैं: (क) अपने अपराध से इन्कार करने और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का अवसर, जो वह तभी कर सकता है जब उसे बताया जाए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं और वे आरोप किन आरोपों पर आधारित हैं; (ख) अपने विरुद्ध प्रस्तुत साक्षी से प्रतिपरीक्षा करके और अपने बचाव के समर्थन में स्वयं से या किसी अन्य साक्षी से परीक्षण करके अपना बचाव करने का अवसर;और अंत में (ग) उसे यह अभिवेदन करने का अवसर दिया जाएगा कि प्रस्तावित दण्ड उसे क्यों न दिया जाए, जो वह तभी कर सकता है जब जांच समाप्त होने के पश्चात तथा सरकारी सेवक के विरुद्ध साबित आरोपों की गंभीरता या अन्यथा पर विचार करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी तीन दण्डों में से एक दण्ड देने का प्रस्ताव करता है तथा शासकिय सेवक को इसकी सूचना देता है।संक्षेप में, नियमों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का सार, जैसे कि ऊपर संदर्भित नियम 55, को नियमों से शारीरिक रूप से हटा दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 240 (3) में एक अतिरिक्त अवसर शामिल किया गया था ताकि सरकारी कर्मचारियों को एक वैधानिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और अब इसे अनुच्छेद 311 (2) में शामिल किया गया है ताकि संरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा में परिवर्तित किया जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसी प्रकार, खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर, यद्यपि यह स्पष्ट रूप से 1915 के अधिनियम की धारा 47–ए की उपधारा (3) के खण्ड (ग) में उल्लिखित नहीं है, कि अधिहरण के समर्थन में एकत्रित सामग्री भी प्रदान की जानी चाहिए। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, जिस सामग्री के आधार पर प्रश्नगत वाहन के अधिहरण के लिए राय बनाई गई है, उसकी आपूर्ति, 1915 के अधिनियम की धारा 47–ए(3)(ग) के अन्तर्गत परिकल्पित अवसर में सम्मिलित है।व्यक्ति को अपना बचाव उचित ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जिस सामग्री के आधार पर राय बनाई गई है, वह भी उपलब्ध कराई जाए।

13. इसी प्रकार, जब्त किए गए मादक द्रव्यों, वस्तुओं, औजारों, बर्तनों, सामग्रियों, वाहनों को जब्त करते समय कलेक्टर भी अधिनियम 1915 की धारा 47–ए की उपधारा (3) के खंड (बी) में उल्लिखित व्यक्ति की सुनवाई करने के लिए बाध्य है।

14. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 6 वें पृष्ठ 721 में 'सुनवाई' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:---

साक्ष्य का परिचय और स्वीकार्यता आमतौर पर सिविल या दाण्डिक वाद की तुलना में सुनवाई में थोड़ी ढीली होती है (उदाहरण के लिए 42 यू.एस.सी.ए. $ 405 (बी) देखें जो सामाजिक सुरक्षा सुनवाई में साक्ष्य की स्वीकार्यता प्रदान करता है जो अन्यथा नियमित परीक्षण में अस्वीकार्य होगा)।सुनवाई का उपयोग विधायी और प्रशासनिक दोनों एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है और यह न्यायिक या केवल जांच–पड़ताल संबंधी हो सकती है। न्यायिक सुनवाई के खिलाफ़ न्यायालय में अपील की जा सकती है। कांग्रेस समितियाँ अक्सर कानून बनाने से पहले सुनवाई करती हैं; ये सुनवाई तब विधायी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।"

15. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन–2005 वें संस्करण में "सुनवाई" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी मुकदमे की सुनवाई को "सुनवाई" कहा जाता है और तकनीकी रूप से विचार किया जाता है, इसमें न केवल वकीलों के साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करना शामिल है, बल्कि पीठासीन अधिकारी द्वारा डिक्री का उच्चारण करना भी शामिल है।

16. पटना उच्च न्यायालय ने शेख अब्दुल रहमान बनाम शिबलाल साहू और अन्य के मामले में "सुनवाई" को तथ्य या विधि के विवाद्यक पर निर्णय लेने के उद्देश्य से आयोजित न्यायिक सत्र के रूप में परिभाषित किया; प्रशासनिक विधि में, प्रभावित व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष तर्क प्रस्तुत करना।

17. कनरन नांबियार बनाम रामुन्नी नांबियार के प्रकरण में केरल उच्च न्यायालय ने ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त "सुनवाई" का अर्थ केवल 'तर्कों की सुनवाई' नहीं है। यह वाद के विचारण के सभी चरणों को संदर्भित करता है, जैसे विवाद्यक का निराकरण, साक्ष्य लेना और तर्कों की सुनवाई या वाद के अंतिम निर्णय की ओर अन्य कार्यवाही की प्रवृत्ति।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित विधिक प्रावधानों और जब्ती के आदेश पारित करने के लिए पूर्व शर्तों और विधि के सिद्धांतों के प्रकाश में, यह सुस्पष्ट है कि 1915 के अधिनियम की धारा 47–ए (3) (ए) में उल्लिखित जब्त मादक पदार्थों, वस्तुओं, उपकरणों, बर्तनों, सामग्रियों, वाहन आदि को जब्त करने से पहले, कलेक्टर को उस न्यायालय को जब्त वस्तुओं की जब्ती की कार्यवाही शुरू करने के बारे में निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना भेजने के लिए बाध्य है, जिसके पास उस अपराध का विचारण करने का अधिकार है जिसके कारण जब्ती की गई है।कलेक्टर उस व्यक्ति को, जिससे ऐसे मादक द्रव्य, वस्तुएं, उपकरण, बर्तन, सामग्री, वाहन आदि जब्त किए गए हैं, लिखित में नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है और किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस पर दावा करता है और किसी अन्य व्यक्ति को जो कलेक्टर के समक्ष उसमें हित रखने के लिए उपस्थित हो सकता है, नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है और उसके बाद उसे खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित जब्ती के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करना होगा और अंत में, वह उप–धारा (1) के तहत जब्ती करने वाले अधिकारी को सुनवाई देने के लिए बाध्य है और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें खंड (ख) के तहत नोटिस दिया गया है, सुनवाई का अवसर देने के लिए बाध्य है।

19. उपर्युक्त विधि के सिद्धांत के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, लेकिन कलेक्टर ने प्रस्तावित वाहन को जब्त करते समय केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया। कलेक्टर द्वारा 01.08.2024 को जारी किए गए जब्ती के कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सुपर्दनामा के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन सुपर्दनामा के लिए आवेदन को कलेक्टर ने 21.10.2024 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

20. इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो याचिकाकर्ता को कलेक्टर द्वारा जब्त की गई वस्तु के समर्थन में दस्तावेज दिए गए और न ही उसे राज्य द्वारा भरोसा की गई कोई सामग्री दी गई और केवल जवाब और लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल करने का अवसर दिया गया।याचिकाकर्ता को अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त वाहन को जब्त करने वाले अधिकारी द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसे में जब्ती का आदेश स्पष्ट रूप से अधिनियम 1915 की धारा 47-ए (3) (ए) से (डी) में निहित प्रावधानों के विपरीत है। याचिकाकर्ता को कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित जब्ती के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।इस प्रकार, 1915 के अधिनियम की धारा 47-ए की उपधारा (3) के खंड (बी), (सी) और (डी) का उल्लंघन कलेक्टर द्वारा किया गया है, जो जब्ती कार्यवाही के अवलोकन से स्पष्ट और प्रमाणित है।

21. परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि अपराध क्रमांक 64/2022 के संबंध में कलेक्टर जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) द्वारा पारित जब्ती का आदेश दिनांक 01.08.2024 स्पष्ट रूप से 1915 के अधिनियम की धारा 47-ए (3) (ए) से (डी) में निहित प्रावधानों के विपरीत है और इस तरह, यह अपास्त किए जाने योग्य है तथा तदानुसार द्वारा अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता के वाहन को तत्काल छोड़ा जाए।

22. तदनुसार, वर्तमान दाण्डिक विविध याचिका को यहाँ ऊपर रेखाचित्रित सीमा तक स्वीकृति दी जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur